Schedule XLII-High Court (J) 19[old

**<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी, पूर्णिया बिहार</u>**

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

**स्वत्व** वाद सं.– 54 / 22 / सी.आई.एस.क्र.– 54 / 22

तेज नारायण यादव एवं अन्य बनाम कृष्णा देवी एवं अन्य

| Order date | Order with signature of the Court | Office action taken |
|---|---|---|
| 22/10/24 | वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3, 5 एवं 6 की ओर से उनके विद्वाल अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद प्रतिवादी संख्या 3, 5 एवं 6 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10 / 07 / 2024 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा एवं कब्जे की संपुष्टि हेतु लाया गया है। प्रतिवादीगण जीविका हेतु बाहर रहते हैं जिस कारण से न्यायालय के द्वारा निर्गत समन का तामिला प्रतिवादीगण पर नहीं हुआ जिस कारण से प्रतिवादीगण इस वाद में उपस्थित नहीं हो सके ऐसी दशा में दिनांक 02 / 05 / 2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई किए जाने का आदेश पारित किया गया है। तत्पश्चात प्रतिवादीगण को उक्त आदेश की जानकारी हुई तब प्रतिवादीगण इस वाद में दिनांक 10 / 07 / 2024 को उपस्थित होकर लिखित कथन के साथ यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादीगण की लिखित कथन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।<br>वादीगण की ओर से दिनांक 06 / 09 / 23024 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी राजेश कुमार भगत के द्वारा जमाबंदी वाद संख्या 56 / 2022–23 प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिपक्षी के द्वारा उक्त जमीन पर इस स्वत्व वाद 54 / 22 लंबित होने के आधार पर आपत्ति व्यक्त किया गया जिस कारण से अपर समाहर्ता महोदय पूर्णिया के द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को इस स्वत्व वाद की जानकारी पूर्व में हो गई थी परंतु वो जानबुझकर अनुचित विलंब करने के उद्देश्य से वाद में उपस्थित नहीं हो रहे थे ऐसी दशा में प्रतिवादीगण का उक्त आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणीय न होने से खारिज किए जाने योगय है। वादी की ओर से जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 56 / 2022–23 में पारित आदेश की छायाप्रति एवं प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर सह लिखित बहस की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।<br>उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतित होता है कि दिनांक 02 / 05 / 2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई किए जाने पर आदेश पारित किया गया है तथा प्रतिवादीगण इस वाद में दिनांक 10 / 07 / 2024 को उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण इस वाद में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ऐसी दशा में वादी के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण हेतु उभय पक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है अतः वादीगण को हुई असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण के उक्त आवेदन को 100 रूपए खर्चा पर स्वीकृत कर प्रतिवादीगण के लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा। वाद आगामी दिनांक 19 / 11 / 2024 को धारा 89 के अंतर्गत सुलह वार्ता हेतु।<br><br>हस्ताक्षर<br><br>अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि<br>बनमनखी | |